राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश

क्र.सं.		विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		2–7
	1.1	आवेदन प्रक्रिया	2
	1.2	परीक्षा शुल्क	5
	1.3	प्रवेश–पत्र	5
	1.4	अन्तिम दिनांक व समय	5
	1.5	परीक्षा का स्थान एवं माह	5
	1.6	रिक्त पदों की संख्या आरक्षण एवं नियुक्ति प्रक्रिया	5
	1.7	ऑनलाईन आवेदन मे संशोधन की प्रक्रिया	5–6
	1.8	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन का प्रपत्र	7
2.	परीक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		8
	2.1	परीक्षा का स्वरूप व पाठ्यक्रम	8
	2.2	प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी प्रावधान	8
3.	पद की अर्हता,वेतनमान एवं अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		9–12
	3.1	शैक्षणिक योग्यता	9
	3.2	अनुभव	9
	3.3	वेतन व पेंशन	9
	3.4	आयु गणना संबंधी सामान्य नियम	9–11
	3.5	राष्ट्रीयता	11
	3.6	नियुक्ति के लिए अयोग्यता	11–12
4.	वर्ग विशेष (श्रेणी) में आरक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		13–18
	4.1	दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान	13
	4.2	क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान	13
	4.3	भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान	13–14
	4.4	राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान	14
	4.5	निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधान	14
	4.6	उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान	14–15
	4.7	प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश	15–17
	4.8	आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान	18
5.	परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		19–24
	5.1	महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिन्दु व सामान्य निर्देश	19–21
	5.2	वस्तुपरक परीक्षा (Objective Type) हेतु निर्देश	21
	5.3	वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश	22
	5.4	श्रुतलेखक(Scribe) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देश	23–24
	5.5	अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देश	24

–: आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. आवेदन प्रक्रिया :–

(क) आवेदन बोर्ड की वेबसाइट **http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in** के माध्यम से व केवल निर्धारित **Online Application Form** में लिये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र(**C.S.C.**) के माध्यम से या स्वयं भरा जा सकता है।

(ख) परीक्षा शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा कराने हेतु रुपये 10/– राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। वहीं से आवेदन–पत्र भरने पर रुपये 20/–का अतिरिक्त सेवा शुल्क देय होगा। जिसकी रसीद पृथक से कटवानी होगी।

(ग) परीक्षा शुल्क का अन्य बैंकों के नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने हेतु ई–मित्र पोर्टल **http://www.emitra.gov.in** पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से टोकन नम्बर प्राप्त कर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन फार्म में भर सकते हैं।

(घ) ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु बोर्ड की वेबसाईट पर अभ्यर्थी ऑनलाईन एप्लीकेशन पर क्लिक करें और उसके बाद चरणबद्ध रूप में निर्धारित आईकन को क्लिक करते हुए और भरते हुए आवेदन पत्र जमा कराए। अभ्यर्थीगण की सुविधा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने संबंधी निर्देश के साथ आवेदन पत्र का प्रपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं। बोर्ड द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(च) अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। यदि किन्हीं दो या अधिक पदों की एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें विज्ञप्ति के निर्देशानुसार रेफरेंस हेतु दूसरे आवेदन पत्र की एप्लीकेशन आई.डी. साथ में अवश्य भरें। अनावश्यक रूप से एक ही पद के लिए दोहरे आवेदन न भरें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(छ) ऑनलाईन आवेदन के अन्तर्गत कुछ प्रविष्टियां अनिवार्य हैं अर्थात् उनके फील्ड मेंडेट्री (Mendatory) हैं ऐसी स्थिति में बिना उस प्रविष्टि के भरे फॉर्म सबमिट (Submit) नहीं होता।

(ज) यदि किसी अभ्यर्थी ने बोर्ड की किसी भी परीक्षा में पहले आवेदन कर रखा है, तो आवेदक को फिर से पूरा नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर अपने पूर्व आवेदन को रिवेलिडेट कर सकता है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(अ) यदि अभ्यर्थी अपने मोबाईल पर इन्टरनेट का उपयोग करते हुए पूर्व एप्लीकेशन आई.डी. को नई परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराकर
http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in पोर्टल को मोबाइल पर इन्टरनेट के माध्यम से खोलकर रजिस्टर्ड आवेदक के विकल्प का चयन करते हुए पूर्व आवेदन को रिवेलिडेट करते हुए नया एप्लीकेशन आई.डी. प्राप्त कर सकता है।

(ब) यदि परीक्षा शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करा रहा हैं, तो यह उसकी पूर्व एप्लीकेशन आई.डी. वहीं परीक्षा शुल्क जमा कराते समय अंकित करा दें, ऐसे में उन्हें पृथक से कोई आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उनका आवेदन स्वतः ही भरा हुआ मान लिया जाएगा और अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा का नया एप्लीकेशन आई.डी. उपलब्ध हो जाएगा। (यह सुविधा बोर्डद्वारा प्रदान किये जाने पर उपलब्ध होगी)

नोट :– 1. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के **preview** को आवेदन **submit** न मानें।

2. यह ध्यान दें कि पूर्व आवेदन के उपरांत भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा का नया एप्लीकेशन आई.डी.उपलब्ध होगा, केवल नवीन परीक्षा शुल्क जमा होना ही नवीन परीक्षा के आवेदन का रिवेलिडेट होना तय नहीं करता, जब तक कि उसे नवीन आवेदन का आई.डी. न प्राप्त हो जाए।

–: <u>आवेदन कैसे करे</u> :–

<u>आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।</u>

नोटः– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

<u>कृपया ध्यान दे</u> :–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का व्द सपदम ।चचसपबंजपवद थ्वतउ प्रस्तुत ेंइउपजद्ध करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा व्द सपदम ।चचसपबंजपवद थ्वतउ प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तरिम (च्तवअपेपवदंस) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश** :–

(i) **फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश** :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(ii) **हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश** :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणीः–

परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घंटे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

2. **परीक्षा शुल्कः–**

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 650/–**
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 450/–**
(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु– **रुपये 350/–**

नोट :–

1. टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील (राजस्थान) से सहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क **रूपये 350/–** होगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3. **प्र वेश–पत्र :–**बोर्ड द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। सामान्यतया परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त और परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व वेबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाते हैं, जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (**e-mail ID**) एवं मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन में संलग्न किये गये फोटोग्राफ के अनुरूप फोटो की प्रति प्रवेश पत्र पर अवश्य संलग्न करें और फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ ही परीक्षा देने हेतु पहुंचे, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

4. **अन्तिम दिनांक व समय** :–आवेदन की अन्तिम दिनांक को रात्रि 12–00 बजे तक आवेदन भरा जा सकता है। (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

5. **परीक्षा का स्थान एवं माह** :–परीक्षा में आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अथवा सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर या केवल जयपुर में ली जा सकती है। परीक्षा के संभावित माह की सूचना सामान्यतया विज्ञप्ति के साथ ही अंकित होती है, किन्तु निर्धारित तिथि व विस्तृत कार्यक्रम की सूचना सामान्यतया आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत जारी की जाती है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

6. **रिक्त पदों की संख्या आरक्षण एवं नियुक्ति प्रक्रिया** :– बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों में रिक्तियों की संख्या व आरक्षित पदों का वर्गीकरण संबंधित विभाग से प्राप्त अर्थना पर आधारित होता है। यदि किसी विज्ञापन में आरक्षित पदों का स्पष्ट वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित विभाग से रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। रिक्ति व नियुक्ति राज्य सरकार के नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।

7. **ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रियाः**–यदि आवेदक को आवेदन के पश्चात पता चलता है कि उसका आवेदन त्रुटिपूर्ण रह गया है, तो उन्हे संशोधन हेतु परिर्वतन की सुविधा निम्नानुसार दी जावेगी :–

(क) आवेदक ने ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि भूलवश आवेदन में कोई सूचना सही नही भरी है या गलत सूचना भर दी है तो आवेदक अपने आवेदन में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक भी यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन में संशोधन नहीं किया है तथा संशोधन की आवश्यकता है तो वह ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी 15 दिन की अवधि के भीतर संशोधन कर सकता है। **इसके बाद आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नही किया जायेगा।** ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने के लिए आवेदक ई–मित्रा कियोस्क पर 300/–रू. जमा कराकर नया टोकन नंबर प्राप्त कर संशोधन कर सकेंगे।

(ख) आवेदक ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा के नाम एवं पद के नाम में संशोधन नही कर सकता है। आवेदक अपने नाम एवं पिता/पति के नाम की वर्तनी, जन्म तिथि, श्रेणी, विकलांगता श्रेणी, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संशोधन कर सकते हैं।

(ग) विधवा/विकलांग अभ्यर्थियों के प्रकरण में, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां साक्षात्कार मे उपस्थित होने से पूर्व एवं जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व, इस श्रेणी में परिगणित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे एवं परिणाम धोषणा से पूर्व तक प्राप्त ऐसे सभी वर्गों संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार किया जाएगा यथा निर्धारित परीक्षा तिथि या साक्षात्कार की तिथि से पूर्व तक कोई अभ्यर्थी विकलांग हो गया हो या कोई महिला विधवा हो गई हो। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि तक विधवा/विकलांग हो गए हों, वे अपने आवेदन व्यक्तिशः सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम मय आई. डी. प्रूफ एवं 300/- रुपये का शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि तक संशोधन करा सकता है।

(घ) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात आवेदन में रही किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं ऐसे परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

त्रुटि संशोधन हेतु प्रपत्र

(संशोधन का यह आवेदन बोर्ड द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही स्वीकार्य होगा)

परीक्षा-		रोल नं-	
आवेदन पत्र क्रमांक **(Appl. ID)-**		टोकन क्रमांक-	
पोस्टल आर्डर क्रमांक-		राशि-	

त्रुटि	आवेदन/प्रवेश पत्र में अंकित प्रविष्टि	सही प्रविष्टि	टिप्पणी
नाम			
पता			
वर्ग			
जन्मतिथि			
लिंग			
पता			
फोटो			
अन्य			

त्रुटि का कारण व अन्य बिन्दु –...
.

....

दिनांकः–   हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नोटः–

1. त्रुटि संशोधन की पुष्टि में आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लगाएं। फोटो संशोधन हेतु कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र (जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति लगाएं।
2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति अनुसार त्रुटि संशोधन हेतु निर्धारित राशि जमा कराने के लिए पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।
3. त्रुटि संशोधन हेतु निर्धारित दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा।

—: परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी निर्देश :—

- <u>**परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप**</u> :—परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप, जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक व समयावधि निर्धारित होती है, को सामान्यतया विज्ञप्ति या पाठ्यक्रम के प्रकाशन के समय सूचित कर दिया जाता है। इसमें कतिपय परीक्षाओं में सेवा नियमों के अन्तर्गत ही परीक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है और कतिपय परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा निर्धारित होता है अतः अभ्यर्थी विज्ञापन के अतिरिक्त सम्बद्ध सेवा नियमों का भी अध्ययन कर लें। किसी पद हेतु चयन की प्रक्रिया केवल परीक्षा के आधार पर होगी या केवल साक्षात्कार के आधार पर या परीक्षा सह साक्षात्कार के आधार पर, यह भी सेवा नियमों के द्वारा निर्धारित होता है जिसे विज्ञापन में प्रकाशित कर दिया जाता है। किसी परीक्षा का पाठ्यक्रम उस पद की योग्यता, आवश्यकता व सेवा नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्धारित होता है। यदि मूल विज्ञापन के साथ यह प्रकाशित नहीं हुआ है तो नवीनतम अनुमोदित पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा वेब—साइट पर विज्ञापनोपरांत शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

नोटः—बोर्ड द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- <u>**प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्तिः—**</u>

1. बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी का विकल्प परीक्षा की प्रकृति, सम्बद्ध नियमों के प्रावधान तथा बोर्ड के विवेक के अनुरूप होगा। वस्तुपरक परीक्षाओं में प्रश्न—पत्र द्विभाषीय या एकभाषीय किसी भी रूप में हो सकता है।"वस्तुतः पद की कार्यगत आवश्यकताओं तथा विषय की तकनीकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि प्रश्नपत्र द्विभाषीय होंगे या एकभाषीय। इसी के अनुरूप बोर्ड द्वारा अभियांत्रिकी और मेडिकल से सम्बन्धित उच्च स्तरीय परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही प्रश्न दिये जाते हैं और कतिपय सामान्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे कनिष्ठ लिपिक, अध्यापक आदि में केवल हिन्दी माध्यम में प्रश्न पत्र दिये जाते हैं। यह केवल विषय ही नहीं पद की अनिवार्यता को भी ध्यान में रखकर किया जाता है।

   इस प्रकार यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा के माध्यम का चयन उसे आवश्यक रूप से उस माध्यम में प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु अनुमत नहीं करता, किन्तु सामान्यतया लिखित विवरणात्मक परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने की अनुमति दी गई होती है, जिसके लिए प्रश्न—पत्र/प्रश्न—पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित दिशा—निर्देशों का समुचित अध्ययन कर लिया जाए।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यद्यपि प्रश्नों के सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती जाती है, किन्तु उसमें अपवादस्वरूप प्रश्न—निर्माण, अनुवाद या मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह सकती हैं। बोर्ड द्वारा परिणाम घोषणा से पूर्व विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र पर उक्त बिन्दुओं पर राय ली जाती है और उन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है, जो तथ्यात्मक या अवधारणात्मक रूप में गलत या अस्पष्ट होते हैं। (सामान्यतया वर्तनी सम्बन्धी अल्प त्रुटियों वाले ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर दी जाती है, जिनमें प्रश्न का आशय और भावार्थ समझने में बाधक नहीं होता है) इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के प्रश्नों की त्रुटि से भिन्न आपत्ति है, तो परीक्षा आयोजन के 3 दिवस के भीतर अपनी आपत्तियाँ स्वयं या डाक से बोर्ड को प्रेषित कर दें। (ऐसी आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए सुलभ संदर्भार्थ प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।) समस्त आपत्तियां केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएंगी और बिना साक्ष्य प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर ही बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी, निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

—: पद की अर्हता, परिवीक्षा, वेतनमान एवं नियुक्ति के लिए अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश :—

- **शैक्षणिक योग्यताः—**आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा के सेवानियमों में निर्धारित/बोर्ड द्वारा विज्ञापित शैक्षिक अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
  - परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा,
    - किन्तु जहां चयन दो चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व
    - जहां चयन केवल लिखित परीक्षा, या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

नोटः— 1. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत भरे जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करे।

- **अनुभवः—**यदि किसी परीक्षा में अनुभव या प्रशिक्षण निर्धारित है, तो उसे संबद्ध शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के उपरांत का मान्य किया जाता है। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों में परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले उक्त परन्तुक का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।

- **वेतन, पेंशन संबंधी प्रावधान :—**नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1—1—2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षाणार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि
  के दौरान, ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर नियत किया जाए और पद के विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षाणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

- **आयु गणना संबंधी सामान्य नियमः—**अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए सेवा नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत छूट प्रदान की जाती है जिन्हें विज्ञापन में प्रकाशित किया जाता है। आयु की गणना सामान्यतः विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाती है। कॉलेज शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के वर्ष को ही 1 जुलाई को की जाएगी। स्कूल शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1जुलाई को की जाती है। वर्गवार देय छूट के सामान्य प्रावधान निम्नानुसार है—

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। दृष्टांत स्वरूप सूची निम्नानुसार है–

1.	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत	अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
2.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक (अधीनस्थ सेवा हेतु)	अधिकतम आयु 50 वर्ष तक
3.	सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट	अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष
5.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे बोर्ड के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे	2 अवसर तक
6.	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	यदि लागू हो तो अंकित करें।
7.	एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर
8.	पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
9.	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
10.	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
11.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे	कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर

नोटः–

1. आयु संबंधी उक्त नियम लागू होंगे या नहीं, इसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. कतिपय पदों या परीक्षा विशेष के लिए राज्य सरकार बोर्ड से परामर्श करके अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। (यह छूट सामान्यतः आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व तक ही छूट संबंधी प्रावधान हो जाने पर मान्य)
3. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान की जाएगी। विज्ञप्ति के बाद संशोधित विज्ञप्ति में आरक्षित पदों की स्थिति परिवर्तित होने पर भी यही नियम लागू होगा।
4. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद/वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात् उसे उस वर्ग में पुरूष को देय छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।
5. उपरोक्त समस्तवर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

6. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।(यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य होगी)
7. यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते है उस आशय का, यथा निःशक्तजन, राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र धारित होना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
8. बोर्ड हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है।

- <u>राष्ट्रीयता</u> :–

(क) भारत का नागरिक या (ख) सिक्किम या (ग) नेपाल या (घ) भूटान का प्रजाजन या (ड.) दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या (च) स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति।

नोटः– वर्ग (ग), (घ), (ड.) व (च) से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- <u>नियुक्ति के लिए अयोग्यता</u> :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

   स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961)।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :–

   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
6. बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा में विवर्जित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके विवर्जित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
7. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।

8. किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र हो सकता है।
9. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

—: वर्ग (श्रेणी) विशेष में आरक्षण संबंधी निर्देश :—

आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अभ्यर्थियों से जाति/वर्ग भरवाये जाते हैं, जिनका परीक्षा के परिणाम में आरक्षण या वरीयता निर्धारण के रूप में प्रभाव पड़ता है। अनेक अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपने वर्ग (श्रेणी) को अंकित करने में त्रुटि कर जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी एवं बोर्ड दोनों स्तरों पर परिणाम में विसंगति उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में कतिपय सामान्य त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें—

1. **<u>दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान</u>** (जैसे— जाति सम्बन्धी आरक्षण) — जाति सम्बन्धी आरक्षण का अंकन करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि किसी की भी जाति सदैव पिता की जाति के आधार पर तय होती है। विशेषतः अभ्यर्थी के महिला होने की स्थिति में यदि वह विवाहित है, तो उसका जातिगण आरक्षण उसके पति की जाति के आधार पर न होकर पिता की जाति के आधार पर तय होती है। यदि वह मूलतः किसी अन्य राज्य की है और वह विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, जब उसकी जाति उसके पूर्ववर्ती राज्य में भी समान आरक्षित श्रेणी में आती है। इनमें यदि कोई अभ्यर्थी अपने पूर्ववर्ती राज्य तथा राजस्थान राज्य दोनों में ही आरक्षित श्रेणी में है, किन्तु दोनों में आरक्षण श्रेणी भिन्न है, तो राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार श्रेणी निर्धारण किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में परिगणित किया जाता है ।
2. **<u>क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान</u>** (जैसेः—विधवा, विवाह विच्छिन्न महिला, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि सम्बन्धी) — किसी परीक्षा में जहां क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान है, वहां श्रेणी में परिगणित होने की अन्तिम तिथि आवेदन की अन्तिम तिथि होती है। उदाहरणार्थ किसी महिला अभ्यर्थी के विवाह विच्छिन्न महिला श्रेणी में परिगणित होने की अन्तिम तिथि आवेदन की अन्तिम तिथि ही होती है। इसके उपरान्त हुए परिवर्तन को श्रेणी परिवर्तन के लिए अमान्य किया जाता है। यही नियम भूतपूर्व सैनिक आदि पर भी लागू होता है। विवाह—विच्छिन्न महिला के अन्तर्गत लाभ तभी देय होगा, यदि उसे सक्षम न्यायालय अथवा विधि द्वारा इस हेतु आदेशित किया जा चुका हो।

   बोर्ड द्वारा इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में विधवा अभ्यर्थियों के लिए उनके वर्ग में परिगणित होने की कट—ऑफ तिथि आवेदन के अन्तिम दिनांक की बजाय निम्नानुसार रखी जाएगी—

   ''कोई महिला अभ्यर्थिनी जो आवेदन के अन्तिम दिनांक के उपरांत विधवा हो जाती है, तो उस श्रेणी में लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी, यदि—

   i. जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व,

   ii. जहां चयन केवल लिखित परीक्षा, या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व, इस श्रेणी में परिगणित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

   यही नियम निःशक्तजन पर भी लागू होगा''

   इस प्रकार यथा निर्धारित परीक्षा तिथि या साक्षात्कार तिथि से पूर्व तक यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग हो गया हो या कोई महिला अभ्यर्थी विधवा हो गई हो, तो वह साक्ष्य सहित अपना अभ्यावेदन बोर्ड कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दे। त्रुटि की स्थिति में दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
3. **<u>भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान</u>** — The Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex Servicemen) Rules, 1998 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है :—

   (क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जलसेना, वायु सेना के किसी भी रैंक में योद्धक या योद्धक—भिन्न के रूप में सेवा की हो और

   (i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो, या

   (ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य निर्योग्यता पेन्शन प्रदान की गई हो, या

   (iii) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा, संस्थापन में कटौती के परिणाम स्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या

(iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवान्मुक्ति उपदान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक, थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है, अर्थात :–

(i) लगातार इंम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक, (ii) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति, (iii) वीरता पुरस्कार विजेता,

इस संबंध में दो अतिरिक्त प्रावधानों का भी ध्यान रखें–

1. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी होना।
2. आवेदन की अन्तिम तिथि को उसका वस्तुतः सेवानिवृत होना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी को केवल विभाग से आवेदन हेतु अनुमति ही नहीं मिली है, बल्कि उसे सेवानिवृत भी किया जा चुका है।

4. **राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान–** विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान राज्य के सेवारत कर्मचारियों आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जिनमें कुछ में केवल आयु संबधी शिथिलता दी जाती है और कुछ में क्षैतिज आरक्षण। सामान्यतया राजकीय कर्मचारी के रूप में सेवा नियमों के अन्तर्गत आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान होता है व उसके अलग–अलग उपवर्गों जैसे– अराजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी अथवा विभागीय कर्मचारी होने पर आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। इस प्रकार एक कार्मिक उक्त में से दोनों अथवा किसी एक लाभ का पात्र हो सकता है। यह लाभ भी सेवा नियम के अध्यधीन होता है। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन के अनुरूप कार्यवाही करें। इस संबंध में विशेषतः दो बिन्दु ध्यान में रखें –

1. उक्त लाभ केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त है, अन्य को नहीं, अर्थात् अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जाएगें और वे इस कॉलम को न भरें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह लाभ केवल स्थाई कर्मचारियों के लिए है। अस्थाई तदर्थ या संविदा पर नियुक्त कार्मिक इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
2. वस्तुतः अधिकांश परीक्षाओं में राज्य कर्मचारी के रूप में केवल आयु सीमा में छूट का प्रावधान है और विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी होने पर ही उसे अतिरिक्त रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी राज्य कर्मचारी तो होता है किन्तु प्रत्येक राज्य कर्मचारी विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी नहीं होता है। जो अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी के साथ–साथ विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी हैं केवल वे ही इस कॉलम को भरें अन्यथा नहीं। विभागीय कर्मचारी के अन्तर्गत भी केवल उसी विभाग के अभ्यर्थी पात्र माने जाते है, जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और उनके लिए सेवा नियमों में आरक्षण का प्रावधान है।

5. **निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधान** – विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन के अंतर्गत परिगणना राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन के प्रत्येक उपवर्ग में भी निःशक्तता की अलग–अलग श्रेणियां हो सकती हैं, जो आरक्षण की बजाए वस्तुतः उस पद के दायित्वों का निवर्हन करने में उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी उपवर्ग में ऐसी श्रेणी पृथक से निर्दिष्ट हो, तो उस उपवर्ग में भी केवल उस विशेष श्रेणी निःशक्तता वाले अभ्यर्थी ही चयन किये जाएंगे, अन्य नहीं।

इस संबंध में विशेषतः दो बिन्दु भी ध्यान में रखें –

(क) इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थाई निःशक्तता को ही मान्य किया जाता है, अस्थाई निःशक्तता को नहीं।

(ख) यहां यह भी ध्यान रखें कि नियमानुसार इसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता होने पर ही इस श्रेणी में आरक्षण हेतु मान्य किया जाता है।

6. **उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान–** कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 15–03–2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने

i. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

ii. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

iii. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

iv. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो बोर्डद्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

–: प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :–

(आवेदक परीक्षा से पूर्व आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र नहीं भेजें, जब तक कि बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसी मॉग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण–पत्र को वापस लौटाने का दायित्व बोर्डका नहीं होगा।)
आवेदक को वर्ग विशेष (विशेष योग्यजन/निःशक्तजन/राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आदि) का लाभ कतिपय शर्तों के अन्तर्गत देय होता है। यद्यपि इसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ मांगे जाते हैं, किन्तु अभ्यर्थी आवेदन के समय ही विभिन्न प्रमाण–पत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वस्तुस्थिति सुनिश्चित कर ले :–

1. **<u>जाति प्रमाण–पत्र व मूल–निवास प्रमाण–पत्र :–</u>**

1. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) व मूल–निवास का प्रमाण–पत्र **Online Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
2. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल राजस्थान राज्य की मूल निवासी को दिया जाता है, अन्य अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करें।
3. यदि किसी अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन चुकी है और वह आरक्षित श्रेणी में आती है, तो उसे राजस्थान राज्य के मूल निवास के अतिरिक्त यह भी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसकी जाति दोनों राज्यों में समान रूप से आरक्षित श्रेणी में आती है। यदि उसके विवाह पूर्व या जन्म के मूल राज्य में उसकी जाति आरक्षित श्रेणी में नहीं थी, तो उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
4. विवाहित महिला अभ्यर्थी को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। चूंकि किसी अभ्यर्थी की जाति विवाह की बजाए पैतृक रूप से निर्धारित होती है, अतः पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।
5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **Online Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग में नॉन–क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं, वे भी ध्यान दें कि उनका प्रमाणपत्र–
   - नवीनतम हो और आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी उस वर्ग में आता हो।
   - नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी हो।
   - सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
   - क्रीमीलेयर में नहीं होनें संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होनें का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रीमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

6. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.) की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित कर ले कि वस्तुतः वह इसी क्षेत्र का मूल निवासी है। सुलभ संदर्भार्थ इस क्षेत्र में परिगणित राजस्थान की पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की सूची संलग्न है।

राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र

(इसे अभ्यर्थी राज्य सरकार की नवीनतम अधिसूचना से अपडेट कर लें।)

क्र.स.	जिला	पंचायत समिति		ग्राम पंचायतें
1	बांसवाड़ा	1	आनंदपुरी	सम्पूर्ण
		2	बागीदौरा	
		3	बांसवाड़ा	
		4	गढी	
		5	घाटोल	
		6	कुशलगढ	
		7	छोटी सरवन	
		8	सज्जनगढ	
2	डुंगरपुर	1	आसपुर	सम्पूर्ण
		2	बिछीवाडा	
		3	डुंगरपुर	
		4	सागवाडा	
		5	सीमलवाडा	
3	प्रतापगढ	1	पीपलखूंट	सम्पूर्ण
		2	अरनोद	
		3	प्रतापगढ	
		4	धरियावद	
4	सिरोही	1	आबूरोड	सम्पूर्ण
5	उदयपुर	1	झाडोल (फलासिया)	सम्पूर्ण
		2	खैरवाडा	
		3	कोटडा	
		4	सराडा	
		5	सलुम्बर	
		6	लसाडिया	
		7	गिर्वा 123 गांव	1. सिसरमा पंचायत के सिसरमा, देवाली, बलीचा, सेठजी की कुंडल, रेयता, कोडियत और पीपलिया ग्राम।
				2. बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गरहा, पोपल्ती और नया खेडा ग्राम।
				3. नई पंचायत का नई ग्राम।
				4. डोडावली पंचायत के डोडावली, कालीवास, करनाली, सुराना, बोराबारा का खेडा, मादरी, बछर और केली ग्राम।
				5. बडी उंदरी पंचायत के बडी उंदरी, छोटी उंदरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवाग्राम।
				6. अलसीगढ़ पंचायत के अलसीगढ़, पई और आर ग्राम।
				7. पडूना पंचायत के पडूना, अमरपुरा और ज्वाला ग्राम।
				8. चनावडा पंचायत का चनावडा ग्राम।
				9. सारु पंचायत के सारु और बरन ग्राम।
				10. तीरी पंचायत के तीरी, बोरिकुआ और गोजिया ग्राम।
				11. जावर पंचायत के जावर, रावन, धावरी तलाई, नया खेडा, कानपुर और उदयखेडा ग्राम।
				12. बारापाल पंचायत के बारापाल, तोराना, तालाब और कादिया खेत ग्राम।
				13. काया पंचायत के काया और चान्दनी ग्राम।
				14. तीतारदी पंचायत के तीतरदी, फांदा, बिलिया, दकनकोटरा, ढोलिया की पट्टि और सबीनाखेडा ग्राम।
				15. कानपुर पंचायत का कानपुर ग्राम।
				16. बली पंचायत के बली, बूंदेल, लालपुरा, परावाल, खेरी और जसपुरा ग्राम।
				17. चन्दसा पंचायत के चन्दसा, दमारों का गुडा, मामदेव, झांमरकोटडा, साथपुरा गुजारन, साथपुरा मीनान,जाली का गुरदा, खरबा, मानपुरा और जोधपुरिया ग्राम।
				18. जगत पंचायत का जगत ग्राम।
				19. दतीसर पंचायत के दतीसर, रुनीज, बसू, और रोड्डा ग्राम।
				20. लकड़वास पंचायत के लकड़वास और परोला ग्राम।
				21. भाला का गुरहा पंचायत के भाला का गुरहा, कारगेट, भेंसाहदा और बिरछीग्राम।
		8	गोगुन्दा (52 गांव)	

7. जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें–(जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो)–

i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. *(not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).*

ii. Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.

iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

v. Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).

2. <u>**निःशक्तता प्रमाण–पत्रः**</u>– यदि आवेदक निःशक्त व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारीद्वारा प्रदत्त **40%** या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र होना चाहिए। –

निःशक्तता श्रेणी	दृष्टिबाधित (A)			मूक बधिर(B)		एल.डी./सी.पी(C)						
निःशक्तता उपश्रेणी	पूर्णतः अंध	अंशतः अंध	कमजोर दृष्टि	पूर्णतः	अंशतः	दोनों पैर	दोनों हाथ	हाथ पैर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों नितंब	मांसपेशीय दुर्बलता

3. <u>**अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र**</u> :– आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए।इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

4. <u>**विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र**</u> :– आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण होना चाहिए। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित उसका शपथपत्र होना चाहिए।

5. <u>**आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र**</u> :– अभ्यर्थी आचरण प्रमाण–पत्र के रूप में अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र होना चाहिए। स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र होने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।

6. <u>**आयु का प्रमाण–पत्र**</u> :– बोर्ड द्वारा हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म दिनांक को ही स्वीकार किया जाता है।

7. <u>**सेवारत अभ्यर्थीगण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र**</u> :– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा बोर्ड को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। अतः आवेदक का दायित्व होगा की वह परीक्षा या साक्षात्कार से पूर्व आवेदन के ही समय अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त कर कर लें, चाहे वे स्थाई हो या अस्थाई। यद्यपिऑनलाइन आवेदन के समय उनसे ऐसा प्रमाण–पत्र नहीं मांगा जाता, किन्तु चयन होने की स्थिति में या मुख्य परीक्षा के परिणाम से पूर्व उनसे यह प्रमाण–पत्र लिया जा सकता है।

8. <u>**एन.सी.सी. प्रशिक्षक व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण हेतु प्रमाण–पत्र**</u> :– कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षित (इन्स्ट्रक्टर्स) को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण वरीयता का प्रावधान है जिसमें योग्यताधारक को सी–सर्टिफिकेट धारक होना आवश्यक है।

–ः आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान :–

A. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेंगी। परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

B. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

C. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार (Categorywise) क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, जिसके अन्तर्गत किसी महिला अभ्यर्थी को उसके सम्बंधित प्रवर्ग में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरणः–किसी वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

D. किसी वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के अन्तर्गत महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए जो पद आरक्षित होंगे उनमें पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

E. सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

F. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।

G. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन के लिए निम्न प्रावधान होगा :–

a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उनकी पदगत अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष निःशक्तता को प्रतिवारित किया जा सकता है।

b. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011के अनुसार भरा जाएगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त विशेष योग्यजन की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो, वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेष योग्यजन आवेदक Online Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें लाभ देय नहीं होगा।

अन्य सूचनाः–

अभ्यर्थी सूचना हेतु बोर्ड की वेबसाइट **http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.– 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को सम्बोधित किया जाए।

बोर्ड किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राज्य सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा–आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।

— : परीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश :—

महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिन्दु :—

- परीक्षा भवन में प्रवेश के लिये परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र नित्य अपने साथ लावें, प्रवेश पत्र के अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ अपना फोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ लावें।
- प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी के लिए नियत अवधि के अतिरिक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 5 मिनट का समय उत्तर–पत्रक (ओ.एम.आर. शीट) में रोल नम्बर इत्यादि की प्रविष्टियां भरने के लिए दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र पर समस्त सूचनाएं उसके द्वारा बोर्ड को सूचित विवरण के अनुरुप यथा रुप से अंकित कर जारी किया गया है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही अंकित समस्त सूचना यथा नाम, पिता का नाम, केटेगरी, जन्म दिनांक एवं ऐच्छिक विषय आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें।
- प्रवेश पत्र पर अंकित सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी इस निर्देश की विषय सूची के बिन्दु 1. 7 में अंकित अनुसार कार्यवाही करें।
- किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करलें एवं यह ध्यान रखें कि उसे किस दिन/सत्र में किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है।
- परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन/ब्लूटूथ/पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/किताब/पर्ची, मोबाईल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबन्धित वस्तुऍ यथाः पर्स, बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें क्योंकि उनकी परीक्षा केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित नही की जा सकती है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं मे बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

नोट : वस्तुपरक परीक्षा में केलक्यूलेटर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।

- परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु खाली कागज आदि नहीं दिया जाएगा एवं वस्तुपरक (Objective type) परीक्षा में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री यथा ग्राफ या लॉग टेबल आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध में यदि बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर के माध्यम से कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें।
- वस्तुपरक परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् पूर्ण परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- उत्तर पत्रक/प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर बोर्ड द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते है।
- परीक्षार्थी द्वारा प्रश्नोत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अंदर कहीं पर भी अपना नाम, रोल नंबर, या अन्य कोई संकेत चिन्ह यथा – देवताओं के नाम आदि, प्रश्नोत्तर में नाम, पता या दूरभाष नंबर एवं अन्य कोई भी प्रश्नोत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि अंकित नहीं किया जाना है ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
- वस्तुपरक परीक्षा की स्थिति में उतर पत्रक की दो प्रति होगी जिसकी कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगें।

–: सामान्य निर्देश :–

1. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रुप से प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है; यह मतलब नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी वेबसाइट से प्राप्त प्रवेश पत्र के आधार पर भी परीक्षा मे बैठ सकता है। प्रवेश पत्र खो जाने आदि की स्थिति में परीक्षार्थी निर्धारित कंट्रोल रुम से प्रवेश पत्र अपनी पासपोर्ट साईज की दो फोटो प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है।
3. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। विशेष परिस्थितियों में केन्द्राधीक्षक द्वारा जहां परीक्षा प्रश्न पत्र का समय 3 घण्टे है वहां परीक्षा शुरु होने के 30 मिनट तक एवं जहां परीक्षा प्रश्न पत्र का समय 3 घण्टे से कम है वहां परीक्षा शुरु होने के 15 मिनट तक अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दे सकते है किन्तु इसके उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थानों को भली भांति देख ले कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह अभिजागर को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
5. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र लेगा और न लेने या देने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को बोर्ड के नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
6. परीक्षार्थी को बोर्ड/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/ बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड /केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।
7. केन्द्राधीक्षक/अभिजागर या बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
8. परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
9. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटा बजा कर दी जायेगी। तत्पश्चात अभिजागर द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किये जायेंगे। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं संबन्धित विषय का ही प्राप्त हुआ है। सर्व प्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें।
10. ऐसी परीक्षा जिनमें अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र व उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रुप से एक ही लिफाफे में बंद उपलब्ध कराये जाते हैं और उत्तर पत्रक पर सीरीज का बबल पहले से भरा हुआ होता है। यह लिफाफा निर्धारित समय से पांच मिनट पूर्व उत्तर पत्रक भरने हेतु वितरित किया जायेगा। अभ्यर्थी लिफाफा प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा सील बन्द है और लिफाफा खोलने के बाद यह जांच ले कि प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक पर अंकित सीरिज एक समान है। यदि अंकित सीरिज में किसी प्रकार की भिन्नता हो, तो ऐसा प्रकरण तुरंत अभिजागर को सूचित किया जावे एवं उनके निर्देशानुसार कार्यवाही करे।
    - यदि उत्तर पत्रक पर सीरिज पहले से भरा नहीं है अथवा अंकित नहीं है तो सीरीज भरकर अभिजागर से हस्ताक्षर कराते हुए सही सीरीज भर ली जाए।

- यदि उत्तर पत्रक पर सीरिज पहले से भरा है किन्तु प्रश्न पत्र से सीरीज भिन्न है तो नया प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक प्राप्त कर लें और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो अभिजागर के ध्यान में लाते हुए सही सीरीज का गोला भर दिया जाए और उसे गलत सीरीज को व्हाइट फ्लूड लगाकर मिटा दिया जाए। ऐसे प्रकरण आवश्यक रूप से अभिजागर व केन्द्राधीक्षक द्वारा नोटिस में लाए जाने व प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर ही मान्य होंगे।

11. परीक्षा समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले चेतावनी की घंटी बजेगी और दूसरी घंटी बजने पर (परीक्षा समय समाप्त होने पर) परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार नहीं करने दिया जाएगा।
12. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक अभिजागर को सम्भला दें, तत्पश्चात् अभिजागर से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
13. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत परीक्षा समय शुरु होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी केवल एक बार अभिजागर की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।
14. बोर्ड द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है।
15. परीक्षा में बैठने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

–: वस्तुपरक परीक्षा (Objective Type) हेतु निर्देश :–

- उत्तर पत्रक की समस्त प्रविष्टियां एवं प्रश्नोत्तर नीले बाल पैन से भरे जाने है अतः परीक्षार्थी अपने साथ नीला बाल पेन अवश्य लेकर आवें।
- बोर्ड द्वारा समस्त तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी (Bi-lingual) भाषाओं के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाएंगें।
- वस्तुपरक परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय (Multiple Choice) प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र के उत्तर अंकित करने हेतु परीक्षार्थी को उत्तर पत्रक प्रदान किया जावेगा।
- परीक्षार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वे उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा। उत्तर पत्रक का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः यदि परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी प्रविष्टि को कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जाता है तो परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक पर रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर बोर्ड द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते है।
- बोर्ड द्वारा सामान्यतया परीक्षार्थी को उत्तर पत्रक में उसे दिये जाने वाले प्रश्न पत्र की सीरीज की पूर्ति कर उपलब्ध कराये जाते हैं अतः परीक्षार्थी उत्तर पत्रक व प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच करले की उसे उत्तर पत्रक व प्रश्न पत्र एक समान सीरीज के प्राप्त हुए हैं। यदि इसमें भिन्नता हो तो परीक्षार्थी तत्काल अभिजागर को अवगत करावें।
- यदि किसी विशेष परीक्षा के समय उत्तर पत्रक के ''पुस्तिका क्रम (Question Paper Series)** वाले कॉलम में प्रश्न पत्र की सीरीज की पूर्ति पूर्व से नहीं की गई है तो परीक्षार्थी उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर आंवटित प्रश्न पत्र की सीरीज एवं विषय कोड की आवश्यक रुप से पूर्ति करें। प्रश्न पत्र की सीरीज एवं विषय कोड की प्रविष्टि में रही किसी भी गलती के लिये परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, जिसके लिये उसका उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है।
- सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिये गये होंगे, जिन्हें क्रमश 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया होगा। परीक्षार्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिये उनमें से केवल एक गोला (0)/बबल को उत्तर पत्रक पर गहरा नीाला करना होगा। एक बार उत्तर अंकित किये जाने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकेगा अतः परीक्षार्थी उत्तर अंकित करने के पूर्व पूर्ण संतुष्ट हो जावें। एक से अधिक गोले नीले करने पर प्रश्न के उत्तर को गलत माना जायेगा।
- परीक्षा में प्रश्न पत्र का ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) किया जावेगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्रश्न पत्र पर निर्देश दिये होंगे तथापि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य एक अशुद्ध उत्तर अथवा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर से है। किसी प्रश्न से सम्बंधित सभी गोले/बबल खाली छोडना न तो सही उत्तर एवं न ही गलत उत्तर माना जायेगा।

–: वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश :–

- वर्णनात्मक परीक्षा से आशय यह है कि परीक्षार्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका में पूछे गये प्रश्नों को हिन्दी/अंग्रेजी/विषय की सम्बन्धित लिपि में लिखना होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा समय शुरु होते ही अभिजागर द्वारा एक प्रश्नोत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जावेगी, जिसमें प्रश्न मुद्रित होंगे साथ ही प्रश्नोत्तर लिखने हेतु स्थान दिया होगा।
- प्रश्नोत्तर पुस्तिका की प्रविष्टिया हेतु केवल नीले/काले रंग के पेन/बाल पेन के प्रयोग की अनुमति होगी। परीक्षार्थी इतिहास, भूगोल व विज्ञान से संबद्ध विषय की परीक्षा में ग्राफ, मानचित्र या चित्र बनाते समय मेचिंग पेन और रंगीन पेन्सिलों का प्रयोग कर सकते है।
- परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्नोत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं संबन्धित विषय का ही प्राप्त हुआ है। सर्व प्रथम परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें। प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- परीक्षार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं, परन्तु किसी एक विषय के प्रश्नों के उत्तर अंशतः अंग्रेजी और अंशतः हिन्दी में दिये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि प्रश्न पत्र में ऐसा करने के लिये विशेष तौर पर निर्देश नहीं दिये गये हो।
- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा सिन्धी साहित्य विषयों की परीक्षा के समय प्रश्नों पत्रों के उत्तर साहित्य की सम्बन्धित लिपि में ही दिये जायेंगे सिवाय इसके कि किसी विशेष प्रश्न का उत्तर हिन्दी या यथा स्थिति अंग्रेजी में देने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा की गई हो।
- परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु अलग से कोई पुस्तिका अथवा खाली कागज उपलब्ध नहीं कराया जावेगा एवं ना ही पूरक उत्तर पुस्तिका जारी की जावेगी।

–: श्रुतलेखक (SCRIBE) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन **(Blind)**, सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि (न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रुप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, ऐसी न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता), जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, को उनके आवेदन पर परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम दो दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होकर श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु लिखित रूप में अनुरोध करें। केन्द्राधीक्षक द्वारा सन्तुष्ट होने पर ऐसे परीक्षार्थी हेतु श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी।

3. परीक्षा की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूपही श्रुतलेखक की नियुक्ति हेतु अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जो निम्न है–

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्युनतम योग्यता, जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की योग्यता
(अ) स्नातकोत्तर उपाधि	स्नातक
(ब) स्नातक उपाधि	द्वितीय वर्ष स्नातक
(स) सीनियर सेकेंडरी /	सेकेंडरी
(द) सेकेंडरी	9वीं

4. केन्द्राधीक्षक उनके केन्द्र पर बैठने वाले ऐसे परीक्षार्थियों के लिये उक्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति किये जाने वाले श्रुतलेखकों की सूची जिसमें परीक्षा का नाम, विषय, दिनांक, श्रुतलेखकों का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, योग्यता व निवास का पूर्ण विवरण का उल्लेख हो, परीक्षा से पूर्व तैयार कर लेंगे और उसकी एक प्रति बोर्डके नाम सूचनार्थ अवश्य भेजे।

5. परीक्षा के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता को ध्यान मे रखते हुए केन्द्राधीक्षक द्वारा नियुक्त श्रुतलेखक के संबंध मे यह सुनिश्चित कर लें कि –

- श्रुतलेखक की योग्यता निर्धारित उक्त योग्यता से अधिक नहीं है।
- परीक्षार्थी का संबंधी या उसकी पसंद का श्रुतलेखक उपलब्ध न कराया जावे, केन्द्राधीक्षक स्वयं उपयुक्त श्रुतलेखक चुनेगा।

6. केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक् वीक्षक के वीक्षण में अलग कमरे में बैठाने की व्यवस्था की जावेगी । वीक्षक को यह भी देखते रहना चाहिए कि श्रुतलेखक वही लिखता है जो कि परीक्षार्थी बोलता है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उसका आचरण किसी रूप में संदेहास्पद नहीं हो। श्रुतलेखक के किसी अनुचित कार्यवाही करते हुए पकडे जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है ।

7. उपरोक्त परीक्षार्थियों को उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त आधा घंटे का समय अतिक्ति दिया जावे।

8. परीक्षार्थी द्वारा श्रुतलेखक को प्रति सत्र रु 100/– की दर से पारिश्रमिक देय होगा।

9. अन्य निःशक्त परीक्षार्थी को भी, यदि उसे परीक्षा केन्द्र पर अपनी शारीरिक स्थिति के मद्देनजर कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वह बोर्ड /सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र को पत्र द्वारा आवश्यक रुप से सूचित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि उसे कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

10. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अपने आवेदन में निःश्क्तता नहीं भरी है या श्रुतलेखक की सुविधा हेतु केन्द्राधीक्षक को परीक्षा प्रारम्भ होने की दिनांक से पूर्व ही सूचना नहीं दी है या चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, को यह सुविधा देय नही होगी। ऐसे परीक्षार्थी, जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रुप से असमर्थ हुए हैं, उन्हें श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

11. यदि किसी परीक्षा में कतिपय प्रश्न चित्र या आकृति आधारित है, तो बोर्ड उनके प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों को हटाते हुए और इनके स्थान पर नए प्रश्न रखते हुए पृथक से प्रश्न पत्र तैयार करा सकता है, क्योंकि दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी ऐसे प्रश्नों को देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार ऐसे दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी, जिनको श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जायेगा, उन परीक्षार्थियों

हेतु प्रश्न पत्र अलग से दिये जा सकते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं कि ये सुविधा प्रत्येक परीक्षा मे दी ही जाये जहॉ बोर्ड द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थीगण के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार कराने का निर्णय लिया जायेगा वहॉ पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में केटेगरी Blind/Low Vision लिखी हुई है, किन्तु अभ्यर्थी उस श्रेणी में नहीं आता है अर्थात वह दृष्टिबाधित होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे अन्य सामान्य प्रश्न पत्र दिया जाएगा एवं जिसका निर्णय केन्द्राधीक्षक स्वयं के स्तर पर करेंगे।

12. दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी के लिए पूर्व में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता था जिसे बढ़ाकर 60 मिनट किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि यह अतिरिक्त बढ़ा हुआ समय केवल ऐसे दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी, जिनको श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जाता है, को ही दिया जाएगा, सूर्यमूखी अभ्यर्थीगण अथवा दोनों हाथों से निःशक्त अभ्यर्थी को नहीं। सूर्यमूखी अभ्यर्थीगण स्वयं प्रश्न पत्र हल करते हैं अतः उनको पूर्व की भांति 30 मिनट ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसी प्रकार हाथ संबंधी विकलांगता वाले अभ्यर्थी को देखने में असुविधा नहीं होती अतः उनको भी पूर्व की भांति 30 मिनट ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

–: अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देशः–

1) परीक्षार्थियों को बोर्ड /केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड /केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम,1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/ using or attempting to use unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या बोर्ड द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व बोर्ड किसी की भी नहीं होगी।
3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
5) यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा परीक्षा या उसकी प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

****